૩.૯.૧૯ પચાયતની ઓફિ કેમ આરવીયા
ને પેસા કુદ પચાયતની કે હિંસુ
કરેરા ને ભિઢ્ઢા ગામર શાકિંછ
પચાયતની મિયાવ્યા
પચાયતની પેસવે સુભાષ રોબર
દાયર, ગણ્ણ(સે કમ કોગવ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा द्वारा आयोजित दीवानी फौजदारी राजस्व प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.06.2016 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट– आरजिया
पीठासीन अधिकारी उम्मेदसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2016

संस्कार बिल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री मोहनसिंह जी भण्डारी, भंडारी भवन बाजार नम्बर 2 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

न्यूटेक रिफ्रेक्ट्रीक प्रा.लि. अजमेर रोड भीलवाडा नारायणदास श्यामसुन्दर बाजार नम्बर 2 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 08.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत दिनांक 13.01.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आरजिया प0म0 आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 609, 610, 611, 612 कुल किता 4 कुल रकबा 20–11, बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसे पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम आरजिया प0म0 आरजिया मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी 609, 610, 611, 612 कुल किता 2 कुल रकबा 20–11 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 2100/–रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजाये।

आदेश आज दिनांक 08.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा